



2026:AHC:48228

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट -सी संख्या - 6395/2026

नकली राम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमोल श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, विजय चन्द्र श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य अधिशासी अधिवक्ता, कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदत्त मत्स्य अधिकारों को दस वर्ष की अवधि के लिए विस्तार देने हेतु दायर की गई है। उपरोक्त मत्स्य अधिकार वर्ष 2017 में प्रदान किए गए थे। चूँकि दस वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है, अतः न्यायालय इस राय का है कि रिट याचिका पूर्णतः समय पूर्व है और खारिज किए जाने की संभावना है।

2. इस अवस्था पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को 'प्रेस न किए जाने के रूप में' खारिज करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न होने पर नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता (अनुज्ञा) मांगी गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

4. रिट याचिका प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।

10 मार्च , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”